न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/43 **दायरा दिनांक : 21.02.2025**

उनवान

कालू पुत्र रामा, जाति बलाई, निवासी खेडा सिन्दुरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1. लक्ष्मी नारायण आत्मज कालू, जाति बलाई, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
1/2. दयाराम आत्मज कालू, जाति बलाई, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
1/3. हरिशचन्द आत्मज कालू, जाति बलाई, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
1/4. गोरधन लाल आत्मज कालू, जाति बलाई, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. रेशम बाई पत्नी रामनारायण, जाति मेहर, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0) मृतक जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. कमलेश पुत्र रामनारायण, जाति मेहर, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
   1/2. सागरमल पुत्र रामनारायण, जाति मेहर, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
   1/3. सीताबाई पुत्री रामनारायण, जाति मेहर, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
   1/4. पुष्पाबाई पुत्री रामनारायण, जाति मेहर, निवासी खेडा सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पिडावा, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सा0 झालावाड, जिला झालावाड (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री संजय सक्सैना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 11.05.2026**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 27/2013/राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट कालू ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम सनोरिया, तहसील पिडावा में नई खाता सं. 15 व पुरानी खाता सं. 15 की आराजीयात खसरा नं. 275 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 276 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 277 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 278 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 279 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, कुल खसरा 5 कुल रकबा 19 बीघा 3 बिस्वा वाके है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।
3. अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि वादी कालू के द्वारा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई के विरुद्ध शामलाती आराजी के बंटवारे का दावा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था वादी कालू ने अधीनस्थ न्यायालय में आराजी जमाबन्दी संख्या 15 की कुल 05 किता रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०) सम्वत 2068 से 2071 के बंटवारे बाबत पेश किया था वादी कालू का विवादग्रस्त आराजी मे 1/2 हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज था तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा जमाबन्दी मे दर्ज था – इस प्रकार वादी कालू को विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा यानि कि 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी वादी कालू को मिलना चाहिये तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को 09 बीघा 11 बिस्वा मिलनी चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी नम्बर 01 रेशम बाई को बिना किसी आधार के 11 बीघा 15 आराजी दे दी वादी कालू का हिस्सा बिना किसी आधार के कम नहीं किया जा सकता था– इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया– इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवम तथ्यपूर्ण गलती की है– इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। खाता संख्या 15 की आराजी में कालू का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा रेशमबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय मे बिना जाँच किये वादी कालू को 1/2 हिस्से 09 बीघा 11 बिस्वा आराजी के स्थान पर 07 बीघा 08 बिस्वा दी जो कि 02 बीघा 03 बिस्वा कम आराजी देकर गलती की है जबकि वादी कालू का 1/2 हिस्से के अनुसार 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी हिस्से मे आती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री करने में कानूनी एवम तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी कालू के खाते में दर्ज हिस्से के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अनुसार आराजी में 1/2 हिस्सा दिया गया है या नहीं, इसको नहीं देखा। वादी कालू को कितने बीघा आराजी दी गई इसको नहीं देखा तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को 1/2 दी गयी या नहीं इसको नहीं देखा, कुल रकबे के अनुसार वादी कालू को कितनी आराजी मिलनी चाहिये तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को कितनी आराजी मिलनी चाहिये इसके बारे में कोई जाँच नहीं की। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 01 ने फाड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय को विवादग्रस्त आराजी का विधि सम्मत बंटवारा कराना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी नम्बर 01 ने फाड व मिसरिप्रेन्टेशन करके अपने हिस्से से अधिक आराजी का निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली जबकि प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को अपने हिस्से से अधिक आराजी लेने का अधिकार नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को उसके हिस्से के अनुसार विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण आराजी का बंटवारा नहीं किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का पूर्ण एवम उचित अवसर नहीं दिया। उसके उज्ररात नहीं सुने, वादी कालू के द्वारा द्वारा विवादग्रस्त आराजी का बंटवारा करने का दावा किया था–वादी कालू को बिना सुने ही मनमाने तरीके से आराजी का बंटवारा कर दिया तथा वादी कालू को 1/2 हिस्से से कम आराजी दे दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी खातेदार को उसके हिस्से से ज्यादा आराजी देने का अधिकार नहीं था। वादी कालू अथवा किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी विधिक दस्तावेज अर्थात बेचान पत्र, रहन, दान, हक त्याग के बिना कम अथवा ज्यादा नहीं किया जा सकता है। इस हेतु सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं जिसके तहत विधिक दस्तावेज व सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम व स्टाम्प एक्ट के तहत स्टाम्प डयूटी दिये बगैर किसी भी खोतदार का हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता है इस कानूनी बिन्दू की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया। अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की सुनवाई किये बगैर निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, इस कारण निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा मौके की कोई रिपोर्ट नहीं मंगायी तथा गवाहान के बयान नहीं लिये गये, सभी खसरा नम्बर में बंटवारे मे अपीलान्ट को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया गया। अपीलान्ट का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा है, बिना मौके की रिपोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री करने में कानूनी त्रुटि की है। आराजी खाता संख्या 15 में 05 किता की 19 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम सनोरिया, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०) सम्वत 2068 से 2071 मे दर्ज है। वादी कालू का खाता संख्या 15 की आराजी में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
अपर जिला कलेक्टर, कोटा

1/2 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है, जिसके अनुसार वादी कालू को 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी मिलनी चाहिये लेकिन प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई को 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी दे दी गयी है तथा वादी कालू को 07 बीघा 08 बिस्वा आराजी दी गई, इस प्रकार वादी कालू को 02 बीघा 04 बिस्वा आराजी बिना किसी आधार के कम दे दी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में बिना किसी आधार के निर्णय व डिक्री करके कानूनी गलती की है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करके कानूनी एवम तथ्यपूर्ण गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी खातेदार को उसके हिस्से से ज्यादा आराजी देने का अधिकार नहीं था वादी कालू अथवा किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी विधिक दस्तावेज अर्थात बेचान पत्र, रहन, दान, हक त्याग के बिना कम अथवा ज्यादा नहीं किया जा सकता है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायायल ने निर्णय व डिक्री पारित करते समय कानून की कोई विवेचना नहीं की तथा अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की कोई साक्ष्य नहीं ली। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को सुनवाई का पूर्ण एवम उचित अवसर दिये बिना निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जो कि अवैधानिक है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी एवम तथ्यपूर्ण गलती की है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब दावे के अनुसार तनकीयात कायम नहीं की है, जिससे अपीलान्ट बहुत प्रीज्यूडिश हुआ है। वादी कालू का स्वर्गवास हो गया है तथा वादी कालू की पत्नी नन्दूबाई का भी स्वर्गवास हो गया है इस कारण वादी कालू के उत्तराधिकारीगण में पुत्र अपीलान्ट 1/1 लगायत 1/4 को अपीलान्ट बनाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई का स्वर्गवास हो गया है, प्रतिवादी नम्बर 01 रेशमबाई के उत्तराधिकारीगण में 1/1 लगायत 1/4 पुत्र व पुत्री है, जिनको अपील में रेस्पोडेन्ट बनाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री कानून तथ्य एवम प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकृत फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2013 निरस्त फरमायी जाये तथा वादी कालू जर्ये कायममुकाम अपीलान्ट नम्बर 01 लगायत 04 को 1/2 हिस्सा 09 बीघा 12 बिस्वा आराजी दी जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 01 रेशम बाई मृतक जर्ये कायममुकाम रेस्पोडेन्ट्स नम्बर 1 मृतक जर्ये कायममुकाम 1/1 लगायत 1/4 को 1/2 हिस्सा 09 बीघा 11 बिस्वा आराजी दी जावे तथा अन्य जो भी सहायता इस अपील में अपीलान्टस को प्रदान किया जाना सभव हो वह प्रदान फरमायी जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

5. अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.01.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
6. अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।
7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट कालू ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेशमबाई ने इकबाली जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य नहीं ली और निर्णय पारित कर दिया जिसमें हमें 7 बीघा 8 बिस्वा आराजी मिली जो हमें वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से से कम आराजी मिली है, जबकि राजस्व रिकार्ड में हमारा 1/2 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे में 11 बीघा 15 बिस्वा आराजी प्रतिवादी को दी है जो त्रुटिपूर्ण है। हमें वादग्रस्त आराजी में 2 बीघा 3 बिस्वा आराजी कम मिली है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी नहीं कर सीधे ही बंटवारा कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।
8. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
9. हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।
10. अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम सनोरिया, तहसील पिडावा की जमाबंदी संख्या 2068–2071 के खाता संख्या 15 की आराजी किता 5 रकबा 19.03 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शामलाती खातेदारी की है जिसमें दोनों का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी सुविधा से बंटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी कम 1 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी शामलाती होने से आराजी के विकास करने, सुधार करने आदि में परेशानी आती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वादग्रस्त आराजी में वादी के हिस्से एवं कब्जे अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक खाता दर्ज किया जावे तथा बंटवारे अनुसार नक्शे में चिन्हीकरण किया जावे।

11. अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी कम 1 द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री फरमाया जाकर दावे में चाही गयी प्रार्थना के अनुसार बंटवारा कर दिया जाये जिसमें प्रतिवादिया को कोई एतराज नहीं है।

12. उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 से वाद वादी स्वीकार कर तहसीलदार पिडावा को आदेशित कर वाद में वर्णित वादग्रस्त आराजी कुल किता 5 रकबा 19.03 बीघा आराजी में से खसरा नं. 275 व खसरा नं. 276 रेशमबाई के हिस्से एवं खसरा नं. 277, 278 व 279 वादी के हिस्से में रखते हुए बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी कम 1 का खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाकर नक्शे में तरमीम करवाये जाने का निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट वादी द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2068–2071 ग्राम सनोरिया, तहसील पिडावा की खाता संख्या 15 खसरा नं. 275, 276, 277, 278, 279 कुल किता 5 कुल रकबा 19.03 बीघा आराजी वादी कालू पुत्र रामा हिस्सा 1/2, प्रतिवादी रेशमबाई पत्नी रामनारायण हिस्सा 1/2 खाते दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट के पिता वादी कालू द्वारा धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपने 1/2 हिस्से की आराजी का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी का स्वीकार कर डिक्री करने में कोई एतराज नहीं होना अपने इकबाली जवाबदावे में अंकित किया है।

14. वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के इकबाली जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने सीधे ही वादी का वाद डिक्री कर ग्राम सनोरिया की जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 15 की आराजी कुल किता 5 कुल रकबा 19.03 बीघा में से खसरा नं. 275 व 276 प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 रेशमबाई के हिस्से एवं खसरा नं. 277, 278 व 279 अपीलांट के पिता वादी कालू के हिस्से खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाकर नक्शे में तरमीम हेतु तहसीलदार पिडावा को आदेशित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 के अनुसार प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 को खसरा नं. 275 व 276 की 11.15 बीघा आराजी प्राप्त हुई है। अपीलांट वादी के पिता कालू को खसरा नं. 277, 278, 279 की 07.08 बीघा आराजी प्राप्त हुई है जो जमाबंदी संवत 2068–2071 में दर्ज वादी कालू के 1/2 हिस्से से कम है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2015 से अपीलांट के पिता वादी कालू को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2068–2071 में दर्ज उसके 1/2 हिस्से से कम आराजी दी है जबकि

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वादी ने अपने 1/2 हिस्से के अनुसार बंटवारा चाहा था। अधीनस्थ न्यायालय को विधिक दस्तावेज जैसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/हकत्याग पत्र/दानपत्र के अभाव में वादी के खाते दर्ज 1/2 हिस्से की आराजी के रकबे को कम करने का अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है।

15. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10.05.2013 खारिज की जाती है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए पैरा नं. 13 व 14 में किये गये विवेचन के कम में प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित होवे।

16. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/05/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा